



झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

कार्यालय— समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

ज्ञापांक—...../आई.टी.डी.ए.

जामताड़ा, दिनांक—

स्वीकृत्यादेश

वित्तीय वर्ष—2017—18 में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा अनुशासित मामलों में दिनांक— 31.03.2017 को जिला स्तरीय सतर्कता –सह–निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही, ज्ञापांक—358 दिनांक— 31.03.2017 में दिए गए निर्देश के आलोक में निम्नांकित लाभुकों को मुआवजा राशि निम्न रूपेण भुगतान हेतु, स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र 0	वादी का नाम एवं पता	थाना काण्ड संख्या	धारा	निर्धारित मुआवजा
1.	चम्पा देवी पति—कामेश्वर तुरी ग्राम— नावाडीह दुर्गापुर थाना— करमाटाँड जिला—जामताड़ा।	करमाटाँड थाना काण्ड सं०—166/17, दि०—06. 07.17	धारा—323/ 341/ 355 (बी) भा०द०वि० एवं 3/4 अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	25,000 /— (पचीस हजार)
2.	विजय दास पिता— कार्तिक दास सा०—चम्पापुर, थाना—नारायणपुर जिला—जामताड़ा।	नारायणपुर थाना काण्ड सं०—135/17 दिनांक—13. 07.17	धारा—341/323/386/ 387/506 भा०द०वि० एवं 3(x) (xi) अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	25,000 /— (पचीस हजार)
3.	कुन्ती देवी पति—स्व० मंगरू मिर्धा सा०—बाँकुडीह, थाना—नारायणपुर जिला—जामताड़ा	नारायणपुर थाना काण्ड सं०—174/17 दिनांक—26. 08.17	धारा—341/323/325/ 424/34 भा०द०वि० एवं 3(x) (xi) अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	25,000 /— (पचीस हजार)
4.	प्रदीप मुर्मू पे०—स्व० धनू मुर्मू सा०—हुचुकपाड़ा केलाही थाना—मिहिजाम जिला—जामताड़ा	मिहिजाम थाना काण्ड सं०— 156/17 दिनांक—13.09.17	धारा—341/504/34 भा०द०वि० एवं अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	25,000 /— (पचीस हजार)
5.	अमित्य डोम पे०—निताई डोम, सा०—निश्चिन्तपुर थाना—बिन्दापाथर जिला—जामताड़ा	ST/SC थाना जामताड़ा कांड सं०—04/17, दिनांक—16.11.17,	धारा—147/148/149/323/32 5/379 भा०द०वि० एवं 3 (i) (x) अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	25,000 + 50,000 = 75,000 /— (पचहत्तर हजार)
6.	सविना हाँसदा पति—लखीन्द्र हाँसदा सा०—मरालो थाना—बिन्दापाथर, जिला—जामताड़ा	बिन्दापाथर थाना काण्ड सं०—115/17 दिनांक—02. 11.17	धारा—147/149/353/341/323/ 504/506 भा०द०वि० एवं 3/4 अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	25,000 /— (पचीस हजार)
7.	पिंकी कुमारी पे०—धनेश्वर दास सा०—मट्टाँड थाना—करमाटाँड जिला—जामताड़ा	करमाटाँड थाना काण्ड सं०—22/18 दिनांक—02. 02.18	धारा—341/323/354(बी) भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट एवं 3/4 अनु०जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	1,00,000 /— (एक लाख)

संबंधित सभी लाभुकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या का स्पष्ट अंकित छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित करते हुए आई०टी०डी०ए० कार्यालय, जामताड़ा में तीन दिनों के अंदर जमा करेंगे ताकि स्वीकृत मुआवजा की राशि सीधे उनके बैंक लेखा में हस्तांतरित की जा सके।

परियोजना निदेशक,
ITDA जामताड़ा।

ज्ञापांक— /आई०टी०डी०ए०,

जामताड़ा, दिनांक—

प्रतिलिपि— सभी संबंधित लाभुकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा/नारायणपुर/करमाटाँड एवं नाला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा एवं उपायुक्त, जामताड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
ITDA जामताड़ा।